

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019


जयपुर, दिनांक : 02.01.2019

०१

आदेश


विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.12.2018 के द्वारा डा. राजेश भार्गव, प्रमुख विशेषज्ञ (निश्चेतन), राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर का माह अक्टूबर एवं माह नवम्बर, 2018 का वेतन उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर द्वितीय के रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. भार्गव का माह अक्टूबर एवं माह नवम्बर, 2018 का वेतन भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर में उपलब्ध रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- निदेशक (जनस्वास्थ्य/एम. एस. यू.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 3- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, जयपुर
- 4- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय
- 6- डा. राजेश भार्गव, प्रमुख विशेषज्ञ (निश्चेतन), राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
- 7- रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव